भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0 /54 दिनाँक : 29.04.2022

सेवा में,
अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021

विषयः उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक–27.04.2022 की कार्रवाई (Agenda-65.5 U.P.).

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

उक्त प्रकरण को दिनांक–27.04.2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक–27.04.2022 में लिये गए निर्णय के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निम्न सूचनाएँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई थी। कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायें जिससे की प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. As per DSS analysis some patches of Non Forest land in Purthiyawan village are falling in forest block. This needs to be clarified/rectified.
2. As per the site inspection report of DIG a Food Plaza is proposed in village Nawadabad Garant of Unnao. The option of locating this Food Plaza at adjacent non forest land needs to be explored.
3. As per the site inspection report of DIG alignment in Majhkhoriya village is bisecting the entire forest block. User agency informed that the alignment cannot be changed now since the entire process of awarding the contract has been completed. State Government is advised to issue orders to all concerned agencies directing them to involve the State Forest Department (local DFO) during the finalization of alignment so as to avoid any discrepancies in future.

4. A committee should be constituted at the level of Nodal officer to access the quality of plantations in few of such cases where the plantations are carried out by user agencies.

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कर, आवश्यक सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

<u>प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):</u>

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ़।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथारिटी, लखनऊ।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

29/04/2022

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}